संख्या-76/2021/ 2223 ई-2/तेरह-2021-1437479

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर ,2021

विषय- मेसर्स वैरागी ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड,सोमैया नगर,देवा रोड ,जनपद-बाराबंकी को 2 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता की बीयर उत्पादन हेतु यवासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-31/दो-प्रा.डी.-228/ वैरागी,दिनांक 12 अगस्त,2021 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग,उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26.10.2021 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-2165 ई-2/तेरह-2021-1437479 दिनांक 29.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स वैरागी ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड, सोमैया नगर, देवा रोड, जनपद बाराबंकी को 2 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता की बीयर उत्पादन हेतु यवासवनी स्थापित किये जाने की किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) इकाई द्वारा नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा यवासवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) इकाई द्वारा अनाज से बीयर उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थ की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-33/2021-810ई-2/तेरह- 2021-107/ 2013 दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवथानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पषु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in